भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4250
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

इंटरनेट सेवाप्रदाता

4250. श्री पुट्टा महेश कुमारः
श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंटरनेट एक्सचेंज नीति के संबंध में नवंबर 2022 और 17 फरवरी, 2025 की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति क्या है और इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट्स (आईएक्सपी) के लिए विशिष्ट नीति शुरू करने की समय-सीमा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) और इंटरनेट सेवाप्रदाता (आईएसपी) के बीच अंतर करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं तथा आईएसपी लाइसेंस के लिए आईएक्सपी की अनिवार्यता के पीछे क्या तर्क हैं;
(ग) आईएक्सपी के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में नीतिगत अंतर पर सरकार की क्या स्थिति है, यह देखते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएक्सआई) ने दिसंबर 2024 में आईएसपी लाइसेंस प्राप्त किया जबकि बिना आईएसपी लाइसेंस के इंटरनेट परिचालन 2003 से ही हो रहा था, और
(घ) आईएक्सपी के लिए एक अलग विनियामक ढांचा स्थापित करने के लिए क्या कोई सुधार योजना बनाई गई है, तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (घ) ट्राई ने भारत में डाटा केन्द्र, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना के जरिये डाटा मितव्ययिता को बढ़ावा देने से संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क के संबंध में की गई दिनांक 18.11.2022 की अपनी सिफारिशों तथा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत

प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार की निबंधन एवं शर्तों पर की गई दिनांक 17.02.2025 की सिफारिशों के माध्यम से इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पर अपनी सिफारिशें प्रदान की हैं।

ट्राई की उपर्युक्त सिफारिशें वर्तमान में विभाग के विचाराधीन हैं। नीतिगत मामला होने के कारण लिए जाने वाले निर्णय के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) और (ग) आईएक्सपी (इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट) एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) एक दूसरे के साथ इंटरनेट ट्रैफिक का आदान-प्रदान करते हैं। आईएक्सपी में नेटवर्क स्विच होते हैं जो इससे जुड़े सेवा प्रदाताओं के बीच ट्रैफिक को रूट करते हैं, जिससे सेवा देने वाले आईएसपी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम प्रयोक्ता को इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है।

एनआईएक्सआई ने वर्ष 2003 से प्रभावी आईएसपी लाइसेंस पर वर्ष 2024 में हस्ताक्षर किए हैं।

*****